रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239378
CG-DL-E-06102022-239378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4510] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4510] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2022

का.आ. 4720(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 1 की उप-धारा (4) की परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अनुसूची में,—

(i) क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"1. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 13 में यथापरिभाषित परक्राम्य लिखत (चेक, डिमांड वचन पत्र या विनिमय पत्र से भिन्न जो भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित एक अस्तित्व के पक्ष में जारी या समर्थित है)।";

(ii) क्रम संख्यांक 2 से संबंधित प्रविष्टियों में, "मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 (1882 का 7)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "लेकिन उन मुख्तारनामा को छोड़कर जो भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित एक अस्तित्व को

उनकी ओर से और उन्हें निष्पादित करने वाले व्यक्ति के नाम पर कार्य करने के लिए सशक्त बनाते हैं।" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(iii) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा .सं. 1(3)/2022-सीएल]

डॉ. राजेंद्र कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2022

S.O. 4720(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 1 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following amendments to the First Schedule of the Act, namely:—

2. In the said Schedule,—

(i) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"1. A negotiable instrument (other than a cheque, a Demand Promissory Note or a Bill of Exchange issued in favour of or endorsed by an entity regulated by the Reserve Bank of India, National Housing Bank, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India and Pension Fund Regulatory and Development Authority) as defined in section 13 of the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881).";

(ii) in the entries relating to serial number 2, after the words, figures and brackets "the Powers-of-Attorney Act, 1882 (7 of 1882)", the words "but excluding those power-of-attorney that empower an entity regulated by the Reserve Bank of India, National Housing Bank, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India and Pension Fund Regulatory and Development Authority to act for, on behalf of, and in the name of the person executing them." shall be inserted;

(iii) serial number 5 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 1(3)/2022-CL]

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.06 22:01:28 +05'30'